न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप जिला–फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 172 / 2025 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025 / 346

दायर दिनांक :– 07.07.2025 निर्णय दिनांक:– 26.09.2025

1. आलम खां पुत्र आदम खां जाति सिपाही निवासी जाम्बा हाल निवासी ग्राम गणेशनगर तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. ताजमोहम्मद पुत्र लालदीन जाति मुसलमान निवासी ग्राम गणेशनगर तहसील बाप जिला फलोदी
2. ओरंगजेब पुत्र ताजमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ग्राम गणेशनगर तहसील बाप जिला फलोदी
3. हैदर पुत्र ताजमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ग्राम गणेशनगर तहसील बाप जिला फलोदी
4. जाकीर पुत्र ताजमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ग्राम गणेशनगर तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–

1. श्री रविन्द्रसिंह अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय का पेश है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्व मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि प्रार्थी को अपने हिस्से पर कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल दिया जाता है तो उससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन किया जाना संभव नहीं है। नैसर्गिक न्याय के तीनों आधारभूत सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में होने से उक्त वाद में प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है। प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 498 / 349 रकबा 10.2912 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा गणेशनगर पटवार हल्का चाखू तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। जिसे प्रार्थना पत्र में आगे ''वादग्रस्त भूमि'' के नाम से सम्बोन्धित किया जायेगा। वर्तमान जमाबंदी संवत 2076–2079 संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि पर प्रार्थी का मौका पर वर्तमान तरमीम अनुसार शांतिपूर्वक कब्जा व काश्त चला आ रहा है तथा प्रार्थी की उक्त वादग्रस्त भूमि में अपनी रहवासीय ढाणी, पानी का टांका एवं पशुओं के बाड़े इत्यादि

26.9.25

बना रखे है और उक्त रहवासीय ढाणी में प्रार्थी अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करता आ रहा है तथा प्रत्येक वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थी ने अपनी उक्त वादग्रस्त काश्त भूमि के चारों तरफ अनुसार ही खूंटे रोप कर तारबन्दी कर रखी है जो मौके पर मौजूद है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में संलग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद्पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्व कर दिया जाये क्योकि यह साक्ष्य का विषय है।

ग्राम गणेशनगर के खाता संख्या 205 सम्वत् 2076–79 की जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का अभिलिखित खातेदार है। प्रार्थी और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जैरकार है। अप्रार्थीगण प्रार्थी के पड़ोसी खातेदार है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद है या नहीं इसका निर्धारण मूल वाद में ही तय किया जा सकता है।

अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम सुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना पत्र और जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का अभिलिखित खातेदार है। प्रार्थी और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जैरकार है। अप्रार्थीगण प्रार्थी के पड़ोसी खातेदार है। प्रार्थी एवं

26.9.25

अप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद है या नहीं इसका निर्धारण मूल वाद में ही तय किया जा सकता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण के जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण अपनी आराजी के उपभोग आदि सुविधाओं से वंचित हो सकता है। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूँकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा अन्तर्गत धारा 188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है। प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन के दोनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुवे है। अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति नहीं होगी।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

26.9.25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)